REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 2985]
 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939

 No. 2985]
 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृशि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3406(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536 (अ), तारीख 12 मई, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 को प्रकाशित हुई, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविश्टियों के प चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविश्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"131.	एनाकार्डियम ओक्सीडेंटेल एल.	के रू	काजू
132.	एरिका केटिचू एल.	एरिकेनट	सुपारी"

[फा. सं. 2–9 / 2008–एस.डी.V]

डा. बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाभिात की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2017

S.O. 3406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 130 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"131.	Anacardium occidentale L.	Cashew	Kaju
132.	Areca catechu L.	Arecanut	Supari".

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017.